समक्ष माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म.प्र.

प्र.क. ..../2015

R.5144-दो/15

कलर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

1– प्रेमलाल तनय मंहगी लाल आयु 65 वर्ष

2– अर्जुन तनय मंहगी लाल आयु 59 वर्ष

3– तेजबली तनय मंहगी लाल आयु 45 वर्ष

सभी निवासी ग्राम हरदोखर तह. उचेहरा जिला सतना म.प्र.

.....................प्रार्थीगण / निगराकारगण

बनाम्

1– श्रीमती कांती सिंह पत्नी श्री घनश्याम सिंह बरगाही आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम हरधोखर तह. उचेहरा जिला सतना म.प्र.

2– त्रियुगी तनय मंहगीलाल आयु 55 वर्ष

3– घनश्याम तनय मंहगी लाल आयु 40 वर्ष

4– प्रभा पुत्री मंहगी लाल पत्नी बसंतलाल आयु 35 वर्ष

सभी निवासी ग्राम हरदोखर तह. उचेहरा जिला सतना म.प्र.

5– राघवेन्द्र सिंह तनय ईश्वरदीन आयु 45 वर्ष

6– प्रभाकर सिंह आयु 20 वर्ष

7– अमित आयु 18 वर्ष

8– गरीमा आयु 20 वर्ष

9– लवली आयु 19 वर्ष

सभी के पिता राघवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम कोठी जिला सतना म.प्र.

.....................गैरप्रार्थीगण / गैरनिगराकारगण

निगरानी विरूद्ध अंतरिम आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के द्वितीय अपील के प्रकरण क्र. 655 / अपील / 13–14 में पारित आदेश दिनांक 04.09.2015

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 ई.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 5144–दो/2015 जिला–सतना

थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-07-16	आवेदक के अभिभाषक श्री सी0एल0 वर्मा द्वारा अपर आयुक्त रीवा सभांग रीवा के प्रकरण कमांक 655/अपील/2013–2014 में पारित आदेश दिनांक 04.09.2015 के विरूद्व म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता की धारा 50 के अन्तगर्त निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारांश यह है कि मौजा पतौरा तहसील उचेहरा, जिला–सतना की विवादित भूमि के भूमि स्वामी मंहगीलाल तनय रघुनाथ बरगाही की मृत्यु दिनांक 01.02.2005 को हो गई । सम्बधित पटवारी हल्का पतौरा द्वारा विधिवत सजरा खानदान तैयार किया जाकर प्रतिवेदन नायब तहसीलदार वृत्त अटरा को पेश किया गया । जहां से विधिवत इश्तहार प्रकाश किया गया । कोई आपत्ति न आने पर वारिसानों को नामांतरण किया गया । अनावेदक क्र0 1 द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई और न ही विचारण न्यायालय में पक्षकार थी । 3/ प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपर आयुक्त द्वारा आवेदन निरस्त किया गया है। प्रकरण अभी प्रचलन में है । अभी निराकरण होना शेष है । अतः प्रकरण में	

ग्राह्यता का आधार परिलक्षित नहीं होता है । निगरानी आग्राह्य की जाती है । प्रकरण दा0दा0 हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य